न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 21/2024

बउनवान

लटूरलाल आयु 50 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति बैरवा, निवासी रटावद, तहसील बारां, जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 07.10.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रटावद तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 0.40 है. किस्म–चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत दोषी करार देते हुए 200/– रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल पत्रावली तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:49:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को गलत तथ्यों के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसे सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट स्वंय ने अपील में अंकित किया है कि "अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है "। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि "अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है"। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 190/2022 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.24 12:49:59 IST
Reason: SelfAttested